



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 71 राँची, मंगलवार,

28 जनवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

8 जनवरी, 2025

संचिका सं०-13/आर०-101/2024-76--साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और उप धारा (3) के (खण्ड) ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों का अतिक्रमण और इस निमित्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद् द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का प्रमुख) के पद पर उपयुक्त व्यक्ति के चयन और नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त चयन, नियुक्ति और परिणामिक कार्यकाल राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो और झारखण्ड राज्य की विशिष्ट स्थितियों और पुलिसिंग आवश्यकताओं के अनुरूप भी हो कि दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- यह नियमावली महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 कही जायेगी ।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह झारखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. परिभाषाएँ :-

इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो।

- (i) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य है झारखण्ड के राज्यपाल ।
- (ii) "भारत का नागरिक" से तात्पर्य है, ऐसे व्यक्ति जो भारत के संविधान के भाग-2 के अंतर्गत भारत का नागरिक है ।
- (iii) "संविधान" से तात्पर्य भारत के संविधान से है ।
- (iv) "सरकार" का तात्पर्य झारखण्ड सरकार से है ।
- (v) "राज्यपाल" का तात्पर्य झारखण्ड के राज्यपाल से है ।
- (vi) "नामनिर्देशन समिति" से तात्पर्य नियम-4 के अधीन गठित समिति है,
- (vii) "वेतन मैट्रिक्स" का तात्पर्य भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 की धारा-3 में यथाविनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स ।
- (viii) "पैनल" से तात्पर्य है नामनिर्देशन समिति द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर चयन हेतु पात्र एवं अर्हता प्राप्त अधिकारियों के न्यूनतम तीन तथा अधिकतम पांच नामों के पैनल से है ।

3. चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन की जायेगी ।

4. नामनिर्देशन समिति का गठन

- (क) राज्य सरकार एक नामनिर्देशन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) उच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश-अध्यक्ष,
 - (ii) झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, सदस्य
 - (iii) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का कोई नामनिर्देशिनी सदस्य
 - (iv) झारखण्ड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष / नामनिर्देशिनी सदस्य
 - (v) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड - सदस्य सचिव
 - (vi) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, जिसने झारखण्ड राज्य में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में कार्य किया हो सदस्य
- (ख) नामनिर्देशन समिति नियम 5 के अधीन अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों में से एक सूची तैयार करेगी, जो नियम-8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगी तथा नियम-6 में दिये गये मानदण्डों पर आधारित होगी ।

5. न्यूनतम अर्हता

- (क) उक्त में वह अधिकारी ही सम्मिलित होंगे जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल-16 में राज्य संवर्ग में पुलिस महानिदेशक का पद धारण कर रहे हैं ।
- (ख) जहां, लेवल 16 में कोई भी अधिकारी झारखण्ड राज्य में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का प्रमुख) के रूप में सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए विचार के लिए उपलब्ध नहीं है या नामनिर्देशन समिति किसी भी अधिकारी को सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाती है, वहाँ वेतन मैट्रिक्स के लेवल-15 में राज्य संवर्ग में अपर पुलिस महानिदेशक का पद धारण करने वाले हो, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में आवंटन वर्ष की पहली जनवरी से रिक्ति (जिसके लिए सूची तैयार किया गया है) के दिनांक तक कम से कम तीस वर्ष की सेवा पूरी की हो, ऐसे समस्त अधिकारी सूची में सम्मिलित होंगे।

- (ग) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) के पद की रिक्ति होने की तिथि को अधिकारी की सेवा अवधि छः माह या उससे अधिक होनी चाहिए। अवधि की गणना करते समय अधिकारी की इस पद पर की गयी पूर्व की सेवा अवधि को भी सम्मिलित किया जायेगा। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का पद नियमित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) के अन्यत्र पदस्थापन अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से रिक्त माना जाएगा।

6. सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन की रीति

- (i) चयन का आधार योग्यता और उपयुक्तता होगी
- (ii) सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की उपयुक्तता का विनिश्चय उनके सामान्यतः अच्छे सेवाभिलेख, कर्तव्य हेतु प्रशंसा पत्र, पुरस्कार, मेडल अन्य उपलब्धियाँ और पुलिस बल का नेतृत्व करने के अनुभव आदि के आधार पर किया जाएगा।

7. सूची का आकार

सूची में सम्मिलित अधिकारियों की संख्या न्यूनतम 3 (तीन) और अधिकतम 5 (पाँच) होगी। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों से सूची में 3 से कम अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं।

8. नामनिर्देशन समिति को प्रेषित किये जाने वाला प्रस्ताव

झारखण्ड सरकार का गृह विभाग, रिक्ति होने से तीन महीने पहले, सभी मामलों में पूर्ण प्रस्ताव नामनिर्देशन समिति को प्रेषित करेगा। प्रस्ताव निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रेषित किया जाएगा :-

- (i) अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची विधिवत अधिसूचित हो,
- (ii) पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले अधिकारियों की सूची। यदि ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित कुछ अधिकारी इस पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, तो इसके कारण अवश्य बताया जाना चाहिए।
- (iii) उपरोक्त सूची में सम्मिलित अधिकारियों का सेवा विवरण जिसमें उनके पूर्व में धारित पद, निभाए गए कर्तव्यों की प्रकृति, शैक्षणिक और सेवाकाल की उपलब्धियाँ आदि दर्शायी गयी हों।
- (iv) अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक / आपराधिक कार्यवाही का ब्यौरा, अधिकारियों को आरोप पत्र जारी करने का दिनांक/ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का दिनांक तथा निलंबन का ब्यौरा, यदि कोई हो।
- (v) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चारित्रि अभ्युक्ति में प्रतिकूल टिप्पणियों के विवरण जो अभी तक संप्रेषित नहीं की गई हैं/ संप्रेषित की जानी हैं तथा संबंधित अधिकारी को इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने की समय-सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है या अधिकारियों के अभ्यावेदन पर विनिश्चय लंबित है।
- (vi) यदि अधिकारी पर उसके सेवाकाल में कोई शास्ति अधिरोपित हो तो उसका विशिष्ट ब्यौरा अविध सहित,
- (vii) पात्र अधिकारियों की पूर्ण और अद्यतन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि फाईले, यदि कोई हो, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की वर्षवार उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण। अग्रतर यदि कुछ वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षित या अनुमोदित नहीं की जाती है तो इसके लिए विधि मान्य कारण प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अभिलिखित किया जाना चाहिए और संबंधित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि फोल्डर रखा जाना चाहिए।
- (viii) न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हो, जिनका पैनलीकरण पर प्रभाव हो।

- (ix) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-14/23/65-एआईएस (III), दिनांक-28.07.1996 द्वारा विहित तर्ज पर सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र ।
- (x) यदि कोई अधिकारी, जो संवर्ग में तैनात है या प्रतिनियुक्ति पर है तो उसकी प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी ।

II. नामनिर्देशन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,

- (क) नामनिर्देशन समिति न्यूनतम अर्हताधारी अधिकारियों की उपयुक्तता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।
- (ख) समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :-
 - (i) समिति की बैठक के दिनांक से पहले विगत 10 वर्षों के संदर्भ में अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का मूल्यांकन ।
समिति द्वारा विगत 10 वर्षों सामान्यतया " बहुत अच्छा " के रूप में मूल्यांकन किये गये केवल अच्छी ख्याति के अधिकारियों पर पैनलीकरण हेतु विचार किया जाएगा ।
 - (ii) समिति झारखण्ड राज्य के समक्ष आ रही विशिष्ट चुनौतियों पर विचार करते हुए सूची में सम्मिलित करने के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए अधिकारियों के जीवन वृत्त में दर्शाये गये अनुभव जो कि पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए सुसंगत अनुभव (संचालन, रणनीतिक, नेतृत्व आदि) को भी ध्यान में रखेगी ।
 - (iii) समिति अधिकारियों पर अधिरोपित शस्तियों पर विचार करेगी, यदि कोई हो, और ऐसे किसी अधिकारी को सूची से बाहर रखेगी, जो निलंबित हो या जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लंबित हो या जिसकी सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा रोक लिया गया हो या जो विगत पाँच वर्षों के दौरान " निंदन " के अलावा किसी अन्य शास्ति के अध्वधीन रहा हो या पिछले तीन वर्षों के दौरान " निंदन " के शास्ति के अध्वधीन रहा हो ।
- 9. यदि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, सूची तैयार करने से पहले या पैनलीकरण समिति की बैठक (ECM) के दौरान राज्य सरकार को लिखित रूप में सूचित करता है कि झारखण्ड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को कार्यमुक्त करना संभव नहीं होगा, तो नामनिर्देशन समिति ऐसे अधिकारियों का मूल्यांकन नहीं करेगी ।
- 10. 1. राज्य सरकार नामनिर्देशन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अधिकारियों की सूची से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (झारखण्ड के पुलिस बल का प्रमुख) की नियुक्ति करेगी। इस प्रकार नियुक्त महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का प्रमुख) न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए (माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार) पद धारित करेगा, इसके बावजूद कि इस अवधि के अंतर्गत इनकी सेवानिवृत्ति हो ।
परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस प्रकार नियुक्त महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का प्रमुख) को दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले, उसके कर्तव्यों से मुक्त कर सकती है, यदि :-
 - (क) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई हो, या
 - (ख) किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि या भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध आरोप तय कर दिये गये हो, या

- (ग) शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण व्युत्पन्न अक्षमता के कारण महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का प्रमुख) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया हो ।
- (घ) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का प्रमुख) को दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि वह अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल है तो राज्य सरकार द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकेगा ।
2. यदि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का अध्यक्ष) को उप धारा (1) के परन्तुक के अधीन उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है और जब तक राज्य सरकार नया महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड की नियुक्त नहीं कर देती है, तब तक राज्य सरकार, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल का अध्यक्ष) के पद का अतिरिक्त प्रभार राज्य में पुलिस महानिदेशक कोटि के किसी अन्य अधिकारी को दे सकेगी ।
3. यदि सूची में सम्मिलित किसी अधिकारी के विरुद्ध उसकी नियुक्ति से पूर्व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही / निगरानी / सतर्कता जांच प्रारम्भ की गई है तो उसे महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
11. यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी जो इस नियमावली के उपबंधों के असंगत न हों और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
